IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम के अन्तर्गत वृद्धों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं क्रियान्वयन

डॉ. ऋषिकुमार द्विवेदी

प्राचार्य, स्वामी नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय, मैहर, जिला–सतना (म.प्र.)

शोध सारांशः सामान्यतः हिन्दू विधि में भरण–पोषण को बृहत् रूप में लिया गया है और इसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या के लिए उपबन्ध आते हैं। हिन्दू समाज में संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली की पृष्ठभूमि में भरण–पोषण का विशेष महत्व है। वृद्ध और शिथिलांग जनकों के भरण–पोषण का दायित्व पुत्र और पुत्रियों का अपने जीवनकाल के दौरान है। वे माता–पिता जो अपना जीवन–यापन करने में असमर्थ हैं वे शिथिलांग की परिभाषा में आते हैं। पुरानी विधि में संयुक्त कुटुम्ब के सब सदस्य भरण–पोषण पाने के अधिकारी थें। हिन्दू विधि का यह नियम अब भी मान्य है। पुरानी हिन्दू विधि में उत्तराधिकार की विधि भिन्न होने के कारण आश्रितों के भरण–पोषण का प्रश्न लगभग न के बराबर था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार की स्कीम और वसीयती उत्तराधिकार की मान्यता के कारण हिन्दू विधि में 'आश्रित' शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है।

मुख्य शब्दः दत्तक, भरण–पोषण, संरक्षण, क्रियान्वयन, उत्तराधिकार आदि।

प्रस्तावनाः

संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों को संयुक्त कुटुम्ब के कोष में से भरण–पोषण पाने का अधिकार है, चाहे उनकी कुछ भी आयु या संस्थित क्यों न हो। इसके साथ–साथ कुछ नातेदारों के भरण–पोषण के व्यक्तिगत दायित्व को हिन्दू विधि ने सदैव मान्यता दी है– अपत्य, पत्नी और वृद्ध जनकों का भरण–पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व प्रत्येक हिन्दू का है। हिन्दू विधि ने इस नियम को भी मान्यता दी है कि जो भी व्यक्ति किसी अन्य की सम्पत्ति लेता है, उसका यह दायित्व है कि वह उस व्यक्ति के आश्रितों का भरण–पोषण करें। इस भाँति हिन्दू विधि के अन्तर्गत भरण–पोषण का अध्ययन हम निम्न तीन शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं–

(क) भरण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व,

(ख) आश्रितों के भरण–पोषण का दायित्व, और

(ग) संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों के भरण–पोषण का दायित्व।

उपर्युक्त (ख) और (ग) के अन्तर्गत भरण–पोषण का दायित्व सम्पत्ति के साथ समविस्तीर्ण है, जबकि (क) के अन्तर्गत दायित्व व्यक्तिगत है। (क) और (ख) के अन्तर्गत आने वाली विधि को हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अध्याय तीन में संहिताबद्ध कर दिया गया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

(क) भरण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व –

हिन्दू विधिवेत्ताओं ने भरण–पोषण के दायित्व को प्रारम्भ से ही महत्व दिया है। कुछ व्यक्तियों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत और पूर्ण दायित्व माना गया है। मनु ने प्रतिपादना की है कि वृद्ध जनकों शीलवती पत्नी और अपत्यों का भरण–पोषण सदैव करना चाहिए, उसके लिए चाहे सौ अपकृत्य करने पड़े।[1] यही वात वृहस्पति ने इस भॉति कही है– अपने कुटुम्ब को भोजन और वस्त्र देने के पश्चात् जो बचे उसका दान किया जा सकता है। इससे अधिक का दायी पहले तो मधु खाता सा प्रतीत होता है परन्तु अन्ततः विषपान करता है।[2] मिताक्षरा के अनुसार वृद्ध जनक, पत्नी और अपत्यों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत है।[3] स्मृतिकारों के अनुसार जो व्यक्ति इस दायित्व का पालन करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने वृद्ध जनकों, पत्नी और अपत्यों को भूखा और नग्न रखकर दान–पुण्य करता है, वह नरक का भागी होता है।

अंग्रेजी शासन काल में यह नियम पूर्णतया स्थपित था कि हिन्दू का अपनी पत्नी, अपत्य और वृद्ध जनकों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत है। आधुनिक हिन्दू विधि के अन्तर्गत हर हिन्दू पुरुष या स्त्री का दायित्व है कि वह अवयस्क अपत्य और वृद्ध माता–पिता का भरण पोषण करें।

भरण–पोषण का व्यक्तिगत दायित्व निम्नलिखित के प्रति होता है–

(1) वृद्ध और शिथिलांग जनक

(2) अवयस्क अपत्य

(3) पत्नी

(1) वृद्ध और शिथिलांग जनक

स्मृतिकारों से लेकर संहिताबद्ध हिन्दू विधि तक वृद्ध और शिथिलांग जनकों के भरण–पोषण का दायित्व व्यक्तिगत और पूर्ण दायित्व रहा है, अन्तर केवल यह है कि संहिताबद्ध हिन्दू विधि के पूर्व यह दायित्व केवल पुत्र का था, अब यह दायित्व पुत्र और पुत्री दोनों का है। विवाहित पुत्री का भी अपने माता–पिता के भरण–पोषण का दायित्व है।[4] पुरानी विधि में जनक के अन्तर्गत सौतेला जनक सम्मिलित नहीं था। परन्तु अब सन्तानहीन सौतेली माता जनक की परिभाषा में आती है। सौतेला पिता अब भी इस परिभाषा में नहीं आता है। वृद्ध और शिथिलांग जनकों के भरण–पोषण का दायित्व पुत्र और पुत्रियों का अपने जीवन काल के दौरान है। वे माता–पिता जो अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है वे शिथिलांग की परिभाषा में आते हैं। यह माता जिसने सारी सम्पत्ति दान कर दी है या बेच दी है और जिसके पास जीवन के कोई साधन नहीं है भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी है। यह दायित्व इस पर निर्भर नहीं करता है कि पुत्र या पुत्री के पास संपत्ति है या नहीं।[5] परन्तु वर्तमान हिन्दू विधि से माता–पिता के भरण–पोषण का दायित्व तभी होता है जबकि माता–पिता अपनी आय या समपत्ति द्वारा अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ हों।

माता या पिता द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर भरण–पोषण का दायित्व समाप्त हो जाता है।

(ख) आश्रितों का भरण–पोषण –

संहिताबद्ध होने के पूर्व हिन्दू विधि में 'आश्रित' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। पुरानी विधि में संयुक्त कुटुम्ब के सब सदस्य भरण–पोषण पाने के अधिकारी थे। हिन्दू विधि का यह नियम अब भी मान्य है। पुरानी हिन्दू विधि में उत्तराधिकार की

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

विधि भिन्न होने के कारण आश्रितों के भरण–पोषण का प्रश्न लगभग न के बराबर था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराधिकार की स्कीम और वसीयती उत्तराधिकार की मान्यता के कारण हिन्दू विधि में 'आश्रित' शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। अब यह सम्भव है कि उत्तराधिकार में सम्पत्ति निकट के सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य को चली जाये। आश्रित मृत के निकट के नातेदार हैं और उनका भरण–पोषण का दावा मृत व्यक्ति की सम्पत्ति के साथ संलग्न है। जो उत्तराधिकारी मृत की सम्पत्ति उत्तराधिकार में लेता है उसके विरुद्ध आश्रित भरण–पोषण का दावा कर सकते हैं। यदि मृत के नातेदार को मृत की संपत्ति का कोई भी भाग उत्तराधिकार में नहीं मिला है तो उसका उत्तरदायित्व मृत के किसी भी नातेदार के भरण–पोषण का नहीं है। चाहे वह मृत कितना ही निकट का नातेदार ही क्यों न हो।[6] दूसरे शब्दों में, उत्तराधिकारी सम्पत्ति को आश्रितों के भरण–पोषण के अधिकार के अध्यधीन लेता है। यहॉ पर 'उत्तराधिकारी' शब्द से तात्पर्य है, वे व्यक्ति जो मृत की सम्पत्ति उत्तराधिकार में पाते हैं।[7] आश्रित शब्द का प्रयोग मृत के मरने के पश्चात् ही किया जाता है। यद्यपि मृत के जीवनकाल में आश्रित मृत से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, परन्तु उस स्थिति में उन्हें आश्रित नहीं कहा जाता है। मृत के जीवनकाल में वे भरण–पोषण की मांग, पुत्र, माता, पत्नी के पद से करते हैं। वे आश्रित मृत की मृत्यु के पश्चात् ही कहलाते हैं। यह धारा 21 आरंभिक शब्दों से स्पष्ट है, ''आश्रितों से मृतक के निम्न नातेदार अभिप्रेत हैं।''

आश्रित–हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के निम्न नातेदार आश्रित कहलाते हैं –

1. पिता,
2. माता,
3. विधवा
4. अवयस्क धर्मज और अधर्मज पुत्र
5. अवयस्क अविवाहित धर्मज और अधर्मज पुत्री,
6. विधवा पुत्री,
7. विधवा पुत्रवधू
8. विधवा पौत्रवधू,
9. अवयस्क पौत्र,
10. अवयस्क प्रपौत्र
11. अविवाहित पौत्री, और
12. अविवाहित प्रपौत्री

माता–पिता–अपने पुत्र या अपनी पुत्री की सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध माता–पिता का भरण–पोषण का अधिकार है। पुत्र के उत्तराधिकारियों की सूची में माता अनुसूची के वर्ग एक के उत्तराधिकारियों में से और पिता वर्ग दो के उपवर्ग एक में है। माता और वर्ग एक के अन्य उत्तराधिकारयों के होने पर पिता उत्तराधिकारी नहीं होगा। माता–पिता अपने पुत्र के उत्तराधिकारियों से भरण–पोषण तभी पा सकते हैं जब उन्हें उत्तराधिकार में सम्पत्ति न मिली हो। जब माता–पिता को अपने पुत्र या पुत्री की सम्पत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिलती है तो वे उस व्यक्ति से भरण–पोषण की माँग कर सकते हैं जिसे उत्तराधिकार में सम्पत्ति मिली है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

धारा 21 या दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत माता–पिता के भरण–पोषण के अधिकार को यह कह कर भंग नहीं किया जा सकता है कि उनके पास भरण–पोपण के अपने पर्याप्त साधन हैं। यह दूसरी बात है कि भरण–पोषण की धनराशि निर्धारित करते समय न्यायालय उनके साधनों का पर्यावलोचन करेगा। माता का भरण–पोषण का अधिकारी यह कह कर भंग नहीं किया जा सकता है कि उसने पुनर्विवाह किया है या वह शीलभ्रष्टा है। यही बात पिता पर भी यथावत् लागू होती है।

आश्रितों के भरण–पोषण के नियम –

आश्रितों के भरण–पोषण के अधिकार के सम्बन्ध में निम्न साधारण नियम हैं –

(i) अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि सम्पत्ति के विरुद्ध है। यह व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। यह दायित्व सम्पत्ति तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में, मृत (जिसके आश्रित के रूप में भरण–पोषण माँगा गया है) के उत्तराधिकारी से आश्रित उससे अधिक भरण–पोषण नहीं पा सकते हैं जितनी की सम्पत्ति उनके पास है।

(ii) आभासी रूप से यह सम्भव है कि वही व्यक्ति उत्तराधिकारी हो और वही व्यक्ति आश्रित हो। उदाहरणार्थ, मृत की विधवा उत्तराधिकारी भी है और आश्रित भी। परन्तु वास्तविक रूप से यह सम्भव नहीं है। इस समस्या की कुंजी धारा 22(2) है। इस धारा के अन्तर्गत आश्रित भरण–पोषण की माँग तभी कर सकता है जब कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के पश्चात् उसके मृत की सम्पत्ति में से उत्तराधिकारी के रूप में कोई अंश नहीं पाया है। उत्तराधिकार चाहे वसीयती हो या अवसीयती। उदाहरण के लिए मान लें, एक हिन्दू बिना बिल छोड़े, पुत्र, विधवा और पुत्री को छोड़ कर मर गया। ये तीनों ही उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकार में भाग लेंगे। तकनीकी रूप से तीनों ही आश्रित हैं। परन्तु तीनों ने मृत की सम्पत्ति उत्तराधिकार में पायी है, अतः वे एक दूसरे आश्रित से भरण–पोषण की माँग नहीं कर सकते हैं।

उत्तराधिकारियों का आश्रितों के भरण–पोषण का दायित्व संयुक्त है। प्रत्येक उत्तराधिकारी का दायित्व पृथक् है और उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति तक ही सीमित है। धारा 22 की उपधारा (3) के द्वारा यह प्रतिपादना स्पष्ट कर दी गई है। इस उपधारा के अनुसार जो व्यक्ति सम्पत्ति लेते हैं उनमें से प्रत्येक का दायित्व अपने द्वारा ली गई सम्पत्ति के अंश या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा।

(iii) धारा 22 की उपधारा (4) में आश्रितों के भरण–पोषण की एक और सीमा दी गई है। इस उपधारा के अनुसार उपधारा (2) या उपाधारा (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है, अन्यों के भरण–पोषण के लिए अधिदाय करने का दायी न होगा, यदि जो अंश या भाग उसे अभिप्राप्त हुआ हो उसका मूल्य उससे जो उसे भरण–पोषण के रूप में इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत हो कम हो या कम हो जायेगा, यदि अभिदाय करने के दायित्व का प्रवर्तन किया जाये।' इसे एक उदाहरण द्वारा समझें, एक हिन्दू अपनी वसीयत द्वारा विधवा को कुछ सम्पत्ति देता है जिसकी वार्षिक आय एक हजार रुपया है। मरने के उपरान्त मृत ने अपनी माता को भी छोड़ा है जिसे बिल द्वारा कोई सम्पत्ति नहीं मिली है। माता विधवा के विरुद्ध भरण–पोषण की मांग करती है। विधवा और माता दोनों ही आश्रितों की संज्ञा में आती हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

(ग) संयुक्त कुटम्ब के सदस्यों का भरण–पोषण

संयुक्त कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य को संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में से भरण–पोषण पाने का अधिकार है। यह अधिकार उसकी आयु पर निर्भर नहीं है। यह निर्भर है, कुटुम्ब की सदस्यता पर। जब तक वे कुटुम्ब के सदस्य हैं, यह अधिकार उन्हें है, उनकी आय चाहे कुछ भी हो। संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में भरण–पोषण पाने के अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को निम्न तीन वर्गों में रखा जा सकता है–

(क) सहदायिक,

(ख) सहदायिकों की पत्नियाँ, विधवा और अविवाहित पुत्रियां और

(1) वे पुरुष–सदस्य जो सहदायिक नहीं है; और

(2) अन्य लोगों, जैसे रखैल, अधर्मज सन्ता।

सहदायिक

सहदायिकों का भरण–पोषण का अधिकार संयुक्त कुटुम्ब व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। जब तक कुटुम्ब संयुक्त रहता है, सहदायिक भरण–पोषण पाने के अधिकारी हैं। जिन व्यक्तियों का सम्पत्ति में हित है उन्हें पूर्ण भरण–पोषण पाने का अधिकार है, वह चाहे कर्ता हो, या कुटुम्ब का सबसे कनिष्ठ सहदायिक। स्पष्टतः भरण–पोषण का अधिकार संयुक्त समपत्ति के होने पर निर्भर है। सहदायिकों के भरण–पोषण के अधिकार का आधार है, संयुक्त सम्पत्ति में स्वामित्व की संयुक्तता। निरर्हति सहदायिकों को जो विभाजन पर सम्पत्ति में भाग पाने के अधिकारी नहीं है, भरण–पोषण का अधिकार विद्यमान रहता है।[8] सहदायिकों के भरण–पोषण के अन्तर्गत उनकी समस्त युक्ति–युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति आती है, इसके अन्तर्गत आते हैं, भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, विवाह इत्यादि। जातिच्युत होना या दुराचारी होने मात्र से किसी सहदायिक के भरण–पोषण का अधिकार समाप्त नहीं होता है।

पत्नियाँ, विधवायें और अविवाहित पुत्रियाँ –

कर्ता, सहदायिकों और सदस्यों की पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में से भरण–पोषण पाने का अधिकार है। पुत्रियों के विवाह का भार भी संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति पर है। सहदायिकों की विधवायें भी संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में से भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी हैं।[9] हिन्दू स्त्री के सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत जब सहदायिक की विधवा अपने पति का हित उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त करती थी, उसका भरण–पोषण का अधिकर हृत नहीं होता था। यही स्थिति वर्तमान हिन्दू विधि में भी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम ने उसके भरण–पोषण के अधिकार को हृत नहीं किया है।[10] पुरानी हिन्दू विधि में सहदायिक की विधवा के भरण–पोषण का अधार यह था कि उसके पति का हित उत्तरजीविता के सिद्धान्त द्वारा अन्य सहदायिकों को चला गया है, अतः विधवा भरण–पोषण की अधिकारिणी है। अब यह आधार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सहदायिक की विधवा अब अपने पति का हित अन्य उत्तराधिकारियों के साथ उत्तराधिकार में प्राप्त करती है, परन्तु फिर भी विधवा का भरण–पोषण का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि न्यायालय भरण–पोषण की धनराशि निर्धारित करते समय विधवा द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति को ध्यान में रखेगा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

कुटुम्ब के अन्य सदस्य

प्राचीन हिन्दू विधि में यह नियम था कि संयुक्त कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य संयुक्त कुटुम्ब की संपत्ति में भरण–पोषण का अधिकार रखता था, यह अधिकार कुटुम्ब के दास और सेवकों तक विस्तृत था।

वर्तमान हिन्दू विधि में यह स्थित नहीं है। इसके अन्तर्गत अब वे पुरुष सदस्य आते हैं जो सहदायिक नहीं है अर्थात् वे जो पांचवीं या उसके नीचे की पीढ़ी में है।

भरण–पोषण की मात्रा –

भरण–पोषण की मात्रा के सम्बन्ध में 1956 के अधिनियम के पूर्व भी नियम पूर्णतया निर्धारित थे। सन् 1929 में इस विषय पर प्रीवी कौंसिल ने विचार किया और नियम प्रवर्तित किये । भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए अनेक तथ्य और परिस्थितियों का अवलोकन करना होता है, ये तथ्य और परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही मामूली क्यों न हों। ये तथ्य और परिस्थितियाँ हैं– सम्पत्ति की मात्रा और आय, पक्षकारों के विवाह टूटने के पूर्व के वैवाहिक जीवन का स्तर, कुटुम्ब का स्तर, कुटुम्ब के सदस्यों की हालत, आवश्यकतायें, अधिकार, भविष्य में परिस्थितियों में सम्भावित परिवर्तन, जीवन का स्तर, आयु, आदतें, आवश्यकतायें इत्यादि। प्रीवी कौंसिल के इस मत की अनेक निर्णयों में बार–बार पुष्टि की गई है। आयकर के रिटर्न में दी गई आय को प्रमाणित आय नहीं मानी जा सकती है। आय के समस्त जरियों को देखना होगा।[11] गुजरात उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि पति की आय का एक–तिहाई या आधा भाग भी भरण–पोषण के लिए दिया जा सकता है।[12]

हिन्दू दत्तक और उत्तराधिकार अधिनियम अब कुछ आधार प्रवर्तित करता है जिन्हें न्यायालय भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करते समय ध्यान में रखेंगे। धारा 23 की उपधारा (1) सामान्य नियम प्रवर्तित करती है कि भरण–पोषण निर्धारित करना न्यायालय के विवेक पर है। पत्नी, अपत्य और वृद्ध जनकों के भरण–पोषण की मात्रा के सम्बन्ध में धारा 23 की उपधारा (2) निम्नलिखित आधार अभिकथित करती है–

(i) पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति,

(ii) दावेदार की युक्ति–युक्त आवश्यकतायें,

(iii) यदि दावेदार पृथक् निवास कर रहा है तो क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित हैं,

(iv) दावेदार की सम्पत्ति का मूल्य और ऐसी सम्पत्ति से जो दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न कोई आय, और

(v) इस अधिनियम के अधीन भरण–पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या। आश्रितों के भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए धारा 23 की उपधारा (3) निम्न आधार अधिकथित करती है–

(i) मृतक के ऋणों के संदाय का उपबन्ध करने के पश्चात् उसकी सम्पदा का शुद्ध मूल्य;

(ii) मृतक को बिल के अधीन उस आश्रित के बारे में किये गये उपबन्ध, यदि कोई हों,

(iii) दोनों के बीच के नातेदारी की डिग्रियाँ,

(iv) उस आश्रित की युक्ति–युक्त आवश्यकतायें,

(v) उस आश्रित और मृतक के बीच भूतपूर्व सम्बन्ध,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

(vi) उस आश्रित की सम्पत्ति का मूल्य और ऐसी सम्पत्ति से या उस आश्रित के निजी उपार्जन से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न आय, और

(vii) अधिनियम के अन्तर्गत भरण–पोषण के हकदार आश्रितों को संख्या।

दोनों के बीच कुछ आधार एक से हैं। आश्रितों के लिए भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए कुछ अतिरिक्त आधार बताये गये हैं। इसका कारण है, दोनों के अधिकारों में सैद्धान्तिक मतभेद। उपर्युक्त आधारों में से अनेक स्वतः ही स्पष्ट हैं। हम उसमें से कुछ पर विचार करेंगे।

न्यायालय का विवेक –

लगभग सभी देशों में भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए न्यायालय को विवेक प्राप्त है। न्यायालय जब विवेक का प्रयोग करता है तो उसका प्रयोग युक्तियुक्त और न्यायोचित होना चाहिए। न्यायालय को अधिनियम के उपबन्धों और उसके उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय को मानमानी करने की स्वतंत्रता नहीं है।[13] परन्तु न्यायालय भरण–पोषण का मात्रा निर्धारित करने के लिए गणितज्ञ हो, यह आवश्यक नहीं है।[14]

पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति–

न्यायालयों को भरण–पोषण की मात्रा निर्धारित करते समय पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। स्थिति और प्रास्थिति शब्दों का प्रयोग वृहत् रूप से किया गया है, उसके अन्तर्गत पक्षकारों की आर्थिक स्थिति भी आती है। गोवर्धन वि0 गंगाई[15] में विधवा को भरण–पोषण की राशि निर्धारित करते हुये न्यायालय ने कहा कि मुख्य बात यह है कि विधवा को जीवन का वही स्तर बनाये रखने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी जिस स्तर पर रहने की वह विधवा होने के पूर्व अभ्यस्त थी। किरण वि0 बंकिम में न्यायालयों ने पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति की पूरी जॉच की, और कहा कि पति की आय कुल आठ सौ रुपये माहवार है और पत्नी की अपनी कोई आय नहीं थी। अतः न्यायालय ने पत्नी के लिए 75 रुपये माहवार भरण–पोषण की रकम निर्धारित की। न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि पति का दायित्व कितने लोगों के भरण–पोषण करने का है।

दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकतायें–**किरण वि0 बंकिम** में न्यायालय ने पत्नी की आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा इत्यादि को ध्यान में रखकर यह निष्कर्ष निकाला कि पत्नी की आवश्यकता के लिए 75 रुपये माहवार पर्याप्त होगा; पत्नी ने तो नौ रुपये माहवार माँगा था। **कुसुमचन्द्र वि0 दमयन्ती**[16] में न्यायालय ने कहा कि जब अवयस्क अपत्य माता के साथ रहता है तो अपत्य की आवश्यकतायें माता की आवश्यकताओं में सम्मिलित हैं। दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को निर्धारित करने का कोई स्थिर मानदण्ड नहीं हो सकता है। वह जीवन स्तर जिसका वह अभ्यस्त है, कोई विशेष परिस्थिति जिसमें वह है, जैसे कोई दावेदार क्षयरोग से पीड़ित हो, पक्षकारों की आर्थिक स्थिति आदि तथ्य हैं जिन पर विचार करके ही भरण–पोषण की रकम निर्धारित की जा सकती है।

दावेदार का पृथक् निवास–

साधारणतया दावेदार पत्नी, अपत्य या वृद्ध और शिथिलांग जनकों को पृथक नहीं रखना चाहिए। बिना औचित्यपूर्ण कारण के पति से पृथक् रहने वाली पत्नी भरण–पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है। परन्तु यदि किसी युक्ति–युक्त कारणवश

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

वह पति से पृथक् रह रही है तो वह भरण–पोषण की पूर्ण राशि पाने की अधिकारिणी है। **मुताल्या वि0 मुताल्या**[17] में दावेदार पत्नी पति से पृथक् रह रही थी। न्यायालय ने कहा कि उसके पृथक् रहने का कोई युक्ति–युक्त कारण नहीं हैं यह निर्णय ठीक नहीं है। इस बाद में पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था, अतः दावेदार पत्नी को पति के साथ न रहने का यह पर्याप्त कारण था। धारा 18 (2) (ख) के अन्तर्गत दूसरी पत्नी का होना पत्नी के लिए पति से पृथक् रहने का आधार है। पति ने अकारण पृथक् रह रही पत्नी के लिए न्यायालय भरण–पोषण की सामान्य से कम राशि निर्धारित करने का विवेक रखता है।

विधवा के लिए आवश्यक नहीं है कि वह पतिगृह में ही रहे। विधवा का भरण–पोषण का अधिकार इस कारण हत नहीं हो सकता है कि वह पतिगृह छोडकर भाई के पास रहने चली गई। विधवा पति के नातेदारों के यहाँ रहने के लिए वाध्य नहीं है।

दावेदार की पृथक् आय– दावेदार की पृथक् आय है या नहीं यह तथ्य का विषय है, उपधारणा का विषय नहीं है। कालेज में पढ़ने वाली कन्या अपना भरण–पोषण स्वयं कर सकती है, उसकी कोई उपधारणा नहीं है। प्रश्न आय होने का है, आय उपार्जित करने की क्षमता का नहीं। **कुलभूषण वि0 राजकुमारी**[18] में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्नी ने जो सम्पत्ति अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त की है, और पिता के जीवनकाल में 250 रुपये मासिक भत्ता वह पाती थी उसको ध्यान में रखकर पत्नी की भरण–पोषण की राशि निर्धारित करनी चाहिए। न्यायाधीश ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि 250 रुपये मासिक भत्ता जिसे वह चाहे बराबर पाती हो उसकी आय नहीं हो सकती है, यह तो पिता की दया थी, वह चाहे उसे दे, चाहे न दे। उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति को ध्यान में रखकर न्यायालय ने भरण–पाषण की राशि निर्धारित की।

दावेदारों की संख्या– भरण–पोषण की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय इस बात का ध्यान रखेगा कि भरण–पोषण पा सकने वाले दावेदारों की क्या संख्या है।

भरण–पोषण की बकाया राशि

एक समय था जब हिन्दू विधि में यह धारण थी कि भरण–पोषण की बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती थी परन्तु अब यह स्थापित नियम है कि भरण–पोषण की बकाया राशि भी उसी भाँति वसूल की जा सकती है जिस भाँति कि भरण–पोषण की राशि। यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि भरण–पोषण की माँग की गई थी और उसे देने से इन्कार कर दिया गया था। यह भरण–पोषण का अधिकार निरन्तर अधिकार है और भरण–पोषण का न देना प्रथम–दृष्टया भरण–पोषण नहीं देने का सबूत है।[19] पति के जीवन काल में भरण–पोषण की चढ़ी राशि को पत्नी, पति की मृत्यु के पश्चात् पति की सम्पत्ति में से वसूल कर सकती है। इसका कारण यह है कि यद्यपि भरण–पोषण का दावा व्यक्तिगत है, परन्तु भरण–पोषण का बाद हेतुक व्यक्तिगत नहीं है, यह सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित कराया जा सकता है।[20]

हिन्दू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम के अंतर्गत भरण–पोषण की बकाया राशि के संबंध में कोई उपबंध नहीं है, परन्तु इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है कि भरण–पोषण की बकाया राशि अब भी वसूल की जा सकती है। न्यायालय को भरण–पोषण की बकाया राशि निर्धारित करने में यह विवेक है कि भविष्य की राशि की अपेक्षा बकाया राशि कम निर्धारित करें।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

भरण–पोषण की राशि में परिवर्तन

हिन्दू दत्तक तथा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के अनुसार यदि परिस्थितियों में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाये जिससे भरण–पोषण की रकम में परिवर्तित करना न्यायोचित हो तो भरण–पोषण की रकम चाहे वह उस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् न्यायालय की डिक्री द्वारा या करार द्वारा निश्चित की गई हो, तत्पश्चात् परिवर्तित की जा सकती है। पुरानी विधि में भी यही स्थिति थी। उदाहरणार्थ यदि कुटुम्ब की आय घट जाये तो भरण–पोषण की राशि घटाई जा सकती है। दूसरी ओर यदि दावेदार की आवश्यकतायें किसी युक्तियुक्त कारण से बढ़ती हैं तो भरण–पोषण की राशि बढ़ाई जा सकती है। परिस्थितियों के बदलने के आधार पर न्यायालय नये और पुराने समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर सकता है।[21] **शशि वि0 थेऊ**[22] ने पत्नी ने अपने भरण–पोषण के वाद में दिये गये समझौते के अंतर्गत एक निर्धारित दर से भरण–पोषण पाना स्वीकार किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि परिस्थितियों के बदलने पर भी भरण–पोषण की राशि में वृद्धि की मांग नहीं करेगी। उसके द्वारा भरण–पोषण की राशि को बढ़ाने के वाद करने पर न्यायालय ने कहा कि समझौते के बावजूद भी वह वाद दायर कर सकती थी। न्यायालय भरण–पोषण की राशि परिवर्तन परिस्थितियों में परिवर्तन होने की तारीख से भी कर सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह वाद की तारीख से ही करे।[23] परन्तु भरण–पोषण की राशि बढ़ाने का जो आधार वाद में नहीं लिया गया है वह अपील में नहीं लिया जा सकता है। इसी भांति यदि भरण–पोषण की राशि निर्धारित करने वाली न्यायालय की डिक्री प्रार्थना–पत्र द्वारा राशि परिवर्तन की शर्त नहीं है तो फिर भरण–पोषण की राशि में परिवर्तन कराने के लिए पृथक वाद ही दायर करना होगा।[24]

अन्तरिम भरण–पोषण–यद्यपि अधिनियम में अन्तरिम भरण–पोषण का उपबंध नहीं है, न्यायालय को अन्तरिम भरण–पोषण का आदेश प्राप्त करने की अधिकारिता है। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के अनुसार न्यायालयों की ऐसी कोई अधिकारिता नहीं है। निवेदन है कि यह मत उचित नहीं है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अब इस मत में यह परिवर्तन किया है कि यदि यह स्वीकार करता है कि याचिकाकार उसकी पत्नी है तो न्यायालय अन्तरिम भरण–पोषण की रकम दे सकता है। **सोमनाथ वि0 सावित्री**[25] में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय को अपनी निहित शक्ति के अंतर्गत अन्तरिम भरण–पोषण देने की शक्ति है, परन्तु मुकदमें के खर्चे के लिए राशि नहीं दे सकता है। इस लेखक की राय में निहित शक्ति के अंतर्गत न्यायालय अन्तरिम भरण–पोषण और मुकदमें के खर्चे की राशि देने की भी शक्ति रखता है। पुत्र वधू को भी अन्तरिम भरण–पोषण दिया जा सकता है।

ऋणों की पूर्विकता

सिद्धांत यह है कि जब तक ऋण पर भार नहीं है तब तक मृतक द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत या संदेय ऋणों को उसके अपने आश्रितों के भरण–पोषण के दावों पर पूर्विकता दी जायेगी। पुरानी विधि में भी यह स्थापित नियम था कि मृत के ऋणों और अन्य दायित्वों को विधवा या अन्य व्यक्तियों के दावों पर पूर्विकता है।[26] उदाहरणार्थ पिता के अव्यावहारिक ऋणों को भरण–पोषण पर पूर्विकता नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर सम्पत्ति के अन्तरण का भरण–पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 28 के अनुसार जहॉ कि आश्रित को किसी सम्पदा या उसका कोई भाग अन्तरण किया जाता है तो यदि अन्तरिती को सूचना है या यदि अन्तरण आनुग्रहिक हैं तो भरण–पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवर्तन अन्तरिती के विरुद्ध कराया जा सकेगा किन्तु ऐसे अन्तरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल अन्तरित है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

भरण–पोषण सम्पत्ति का भार के रूप में –

पुरानी हिन्दू विधि में यह नियम था कि भरण पोषण को जब तक सम्पत्ति पर, करार द्वारा, बिल द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा भार नहीं बनाया गया है, वह सम्पत्ति पर भार नहीं है, भरण–पोषण का दावेदार चाहे विधवा हो चाहे अपत्य हो, या अन्य कोई हो। इसका तात्पर्य यह था कि भरण–पोषण का दावा ऐसे अन्तरिती के विरुद्ध नहीं हो सकता है। जो सप्रतिफल अन्तरिती है और जिसे भरण–पोषण के अधिकार की सूचना नहीं है। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत भी यही नियम निर्धारित किया गया है। धारा 27 आश्रितों के भरण–पोषण को भार बनाने की बात कहती हे। परन्तु इसमें कोई संशय होने का आधार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के भरण–पोषण का दावा मृतक की सम्पदा या उसके किसी प्रभाव पर तब तक भार नहीं होगा, जब तक कि मृतक के बिल द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा या आश्रित और सम्पदा या उसके प्रभाग के स्वामी के बीच के करार द्वारा या अन्यथा ऐसा कोई सृष्ट न किया गया हो। इसलिए यदि अन्तरिती को नोटिस नहीं है तो भरण–पोषण के अधिकार का प्रवर्तन नहीं हो सकता। आगे वकाया की वसूली केवल उस सम्पत्ति से हो सकती।

न्यायालय के समक्ष चल रहे भरण–पोषण के बाद में वादी द्वारा प्रार्थना करने पर भी भरण–पोषण के अधिकार को प्रभार बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अधिनियम के आरम्भ से पहले सृजित भरण–पोषण के अधिकार के भार को अब भी प्रवर्तित कराया जा सकता है। भरण–पोषण के अधिकार को संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति पर भी भार बनााया जा सकता है। **पोकुरु वि0 पोकुरु** में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्न चार प्रतिपादनायें निर्धारित की हैं –

(क) भरण–पोषण का कोई दावेदार संयुकत कुटुम्ब के किसी भी सहदायिक के विरुद्ध भरण–पोषण को संयुक्त सम्पत्ति पर भार बना सकता है,

(ख) एक बार भरण–पोषण के अधिकार को न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्धारित करने के पश्चात् हस्तान्तरण या विभाजन द्वारा उस अधिकार को हृत नहीं किया जा सकता है,

(ग) उस सम्पत्ति के विरुद्ध विधवा के भरण–पोषण के अधिकार को कोई भी, सौतेले पुत्र सहित चुनौती नहीं दे सकता है, चाहे पश्चात्वर्ती विभाजन में वे सम्पत्ति उसके भाग में आई हों, और

(घ) संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति पर बनाया गया भरण–पोषण का भर भरण–पोषण के भागी के जीवनकाल तक उस सम्पत्ति पर वांछित रहेगा और अन्य व्यक्तियों के अधिकार उस भाग के अध्यधीन होंगे।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि समाज में वृद्धों के अधिकारों का व्यक्ति किसी भी प्रकार से हनन न कर पायें, इसलिये हिन्दू विधि में यह नियम था कि भरण–पोषण को जब तक सम्पत्ति पर करार द्वारा बिल द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा भार बनाया गया है, वह सम्पत्ति पर भार नहीं है, भरण–पोषण का दावेदार चाहे विधवा हो चाहे अपत्य हो या कोई अन्य हो, भरण–पोषण का दावा ऐसे अन्तरिति के विरुद्ध नहीं हो सकता जो सप्रतिफल अन्तरिति है और जिसे भरण–पोषण की सूचना नहीं है। अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध नहीं अपितु संपत्ति के विरुद्ध है। यह व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। यह दायित्व सम्पत्ति तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में, मृत (जिसके आश्रित के रूप में भरण–पोषण माँगा गया है) के उत्तराधिकारी से आश्रित उससे अधिक भरण–पोषण नहीं पा सकते हैं जितनी की सम्पत्ति उनके पास है। उत्तराधिकारियों का आश्रितों के भरण–पोषण का दायित्व संयुक्त है। प्रत्येक उत्तराधिकारी का दायित्व पृथक् है और उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति तक ही सीमित है। धारा 22 की उपधारा (3) के द्वारा यह प्रतिपादना स्पष्ट कर दी गई है। धारा 22 की उपधारा (4) में आश्रितों के भरण–पोषण की एक और सीमा दी

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 3, November 2022
Impact Factor: 6.252

गई है। इस उपधारा के अनुसार उपधारा (2) या उपाधारा (3) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है, अन्यों के भरण–पोषण के लिए अधिदाय करने का दायी न होगा, यदि जो अंश या भाग उसे अभिप्राप्त हुआ हो उसका मूल्य उससे जो उसे भरण–पोषण के रूप में इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत हो कम हो या कम हो जायेगा, यदि अभिदाय करने के दायित्व का प्रवर्तन किया जाये।'

संदर्भ स्रोतः

[1]. इस पाठ को मिताक्षरा में उद्धृत किया गया है और यही मत व्यक्त किया गया है।

[2]. वृहस्पति xv3.

[3]. मिताक्षरा 11, 175

[4]. मुन्नी वि. छोटी, 1983 इला. 444

[5]. जयन्ती वि. अलामेलू, 37 मद्रास 45

[6]. चैडियन वि. सेठिया कृष्णन, 1982 कैरोना 148

[7]. गुलजारा सिंह वि. तेज कौर, 1961 पंजाब 288

[8]. राम राव वि0 राजा ऑफ पीतापुर (1918) 45 इण्डियन अपील्स 48

[9]. पोकुरु वि. पोकुरी, 1970 आन्ध्र प्रदेश 33

[10].गोवर्धन वि. गंगाबाई, 1964 मध्य प्रदेश 168

[11].बेबी वि. सुनील, 1991 दि. 44

[12].मगन भाई वि. मनीबेन, 1985 गु. 187

[13].किरन वि. वंकिम, 1971 कलकत्त 603

[14].मुताल्या वि. मुताल्या, 1962 अन्ध्र प्रदेश 439

[15].1964 मध्य प्रदेश 168

[16].1967 कलकत्त 603

[17].1962 आ0 439

[18].लक्ष्मी वि0 कृष्णा 1968

[19].परलागड्डे वि. परलागड्डे (1901) 27 इण्डियन अपील्स 151

[20].रघुनाथ वि. द्वारका भाई 1941 बम्बई 357

[21].करैया वि. पेल्लमा, (1939) मद्रास 233

[22].1964 मद्रास 217

[23].शंकर नारायणन वि. लक्ष्मी 1960 मद्रास 291

[24].मेनका वाला वि. पंचानन, 1966 कलकत्ता 288

[25].1987 कर 209

[26].दाई कौर वि0 सरला, 73 इण्डियन अपील्स 608